



है कि विरासन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण धैर्यक सम्पत्ति होने विरासन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जौसारम के नाम से दर्ज है वादी के दादा कानाराम पुत्र जौसारम के देहान्त होने के बाद पुत्र जौसारम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कानाराम पुत्र जौसारम के नाम से दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। 6679 , 326 / 2.7957 , 327 / 2 की 4.7564 , 525 / 2 की 0.0632 है कूल 12.2832 है भूमि अर्जुन रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 32 / 106 / 55 के खसरा नं 221 / 2 की 4. हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के निस्तारण परमावे।

किया है वादी के साक्ष्य सर्वांगों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का परीकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाहड़ / धैर्यक सम्पत्ति का वाद पेश जावे।

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद हिकी परमाया 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पैज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पैज किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों वादी के वाद की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश पाने के अधिकारी है। एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

है जिसके कारण धैर्यक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी दादा कानाराम पुत्र जौसारम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

में दर्ज थी वादी के दादा कानाराम पुत्र जौसारम के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कानाराम पुत्र जौसारम के नाम से राजस्व रिकार्ड है। वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते नहीं करने के कारण निरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा निरह प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल निस्तारण किया गया। की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सर्वांगों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाकर शामिल निस्तारण किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परीकार राज ने जबाब पेश किया नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया गया। इकबाल दावा तत्दीक संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी है ने निवेदन किया की उन्हेने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री विरासन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक

# सत्यमेव जयते

नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्ड अधिकारी ( राजसूय )



सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखया जाकर बसरे डेजलस में

नम्बर से कम की जाकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन जाबाना दाखिल दफतर हो ।  
वरन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शान्ति मिलन की गई पत्रावली  
तो बाद रहनमूलक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना  
के सलान 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शान्ति किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो  
खतदार कारतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु डेजलय प्रार्थना पत्र  
हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा के  
प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खतदार धोषित किया जात है अर्थात वादी 1/9  
की कुल 12.2832 हेक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में वादी व  
किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 32/106/55  
साथ सर्जित एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री  
करने एवं परेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत  
अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार

के कारण राजदरकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।  
होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने दकों का त्याग किये जाने  
सर्जित एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरणा पर चरखा होते है के आधार पर बाद वादी साबित  
वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साथ  
मिलन किया जा चुका है ।

कथनों के सामर्थन में डेकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शान्ति  
नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने  
इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिस उन्के  
हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है  
उपरिखत होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक  
की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 साथ न्यायालय में  
वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा

होगा। अर्थात बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है ।  
का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा  
साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पुरुषक सम्पति में वादी

**पर्व दिक्ती**

( आर्दर 20, कुल 6-7 जाळा दिवानी )  
**स्वाध्यालय सहकार्यक कलक्ट एव उष्वण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. राजाराम पुत्र आनीराम जाति जाट निवासी आवलदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 आनीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी आवलदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. कृष्ण कुमार पुत्र आनीराम जाति जाट निवासी आवलदसर तहसील नोहर हनुमानगढ।

3. सन्तोष पुत्री आनीराम जाति जाट निवासी आवलदसर तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अनर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 643 सन 2019 निर्णय दिनांक-13/3/2020**

आज यह वाद मुझा खेला कबर उष्वण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

पर वाद वादी साक्ष्य सगुती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण वाद वादी दिक्ती किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आवलदसर के

खाला संख्या 32/106/55 की कुल 12.2832 हेक्टर भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

1/3 हिस्सा दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार धोषित किया

जात है अर्थात वादी 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2

का 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु

कुलराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन धामिल किया जावे। यदि भूमि

बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे अन्य वाद उभयपक्ष

अपना अपना वहन करेगी।

पर्व दिक्ती आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।

**उष्वण्ड अधिकारी ( राजस्व )**  
**नोहर ( हनुमानगढ )**

**सत्यमेव जयते**